राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(4)न्याय/96

जयपुर, दिनांक : 23-10-12

अधिसूचना

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49) की धारा 4(2) सपठित धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, भरतपुर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर का सेशन न्यायालय, विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगो की अन्वीक्षा (ट्रायल) करने हेतु सृजित एवं स्थापित करती है तथा इसके पीठासीन अधिकारी को उनके पदस्थापन की तारीख से, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है एवं पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, इसका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है :–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1.	विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिले

साथ ही इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(4)न्याय/96 दिनांक 28.04.1997 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित विशिष्ठ न्यायालय का क्षेत्राधिकार पुनः निर्धारित करती है :–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1.	विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा	कोटा	कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां जिले

राज्यपाल के आदेश से

23/X/12

(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।

Cont……..2

284

6. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, भरतपुर/कोटा।
7. विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
8. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक/शासन सचिव, अभियोजन/वादकरण, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ। (सीडी सहित)
12. रक्षित पत्रावली।

(देवेन्द्र प्रकाश शर्मा)
उप शासन सचिव